



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 9765 / 2026

दिनांक: 11 अप्रैल, 2026

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

सेवा में,

01. निदेशक शैक्षणिक,
विश्वविद्यालय परिसर।

02. प्राचार्य / प्राचार्या / प्रबन्धक
सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय:- "नारी शक्ति वन्दन अधिनियम-प्रचार अभियान" के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रधान निजी सचिव, मन्त्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या: 337(I)/पी0एस0उ0शि0 / 2026, दिनांक: 11 अप्रैल, 2026 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक: 10 अप्रैल, 2026 से दिनांक: 20 अप्रैल, 2026 तक "नारी शक्ति वन्दन अधिनियम-प्रचार अभियान" के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों/गतिविधियों के आयोजन के दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं।

तत्कम में माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त पत्र में वर्णित तथ्यों के आलोक में अपने महाविद्यालय में कार्यक्रमों/गतिविधियों का आयोजन सुनिश्चित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय

(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. माननीय कुलपति जी।
2. प्रभारी वेबसाईट को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं कालेज लागिन में सम्प्रेषण हेतु।
3. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव

कार्यालय
मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पता-63बी/डी, मुख्य गवन, विधानसभा, लखनऊ।
कार्यालय दूरगाण-0522 2238051, 2238112(आवास)

संख्या: 377⁽¹⁾/पी0एस10उ0शि0/2026

दिनांक: 11-04-2026

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।

कृपया संलग्न प्रपत्र "नारी शक्ति वन्दन अधिनियम-प्रचार अभियान" का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2026 तक महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की जानी हैं। प्रपत्र में क्रमांक 4, तथा 9 पर उल्लिखित कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा तथा क्रमांक 6 व 8 पर उल्लिखित कार्यक्रमों के संचालन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर आयोजित किये जाने की मा0 मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गयी है।

कृपया उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गयी है।

संलग्नक-यथोपरि।

11-04-2026

मूल पर नहीं।

प्रतिलिपि मय संलग्नक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11-04-2026

(इन्द्र पाल)

प्रधान निजी सचिव,

मंत्री

उच्च शिक्षा विभाग


उत्तर प्रदेश।

कार्यालय शिक्षा निदेशक, (उ०शि०) उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास/ 95-98 / 2026-27 दिनांक-11.04.2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न पत्र में इंगित कार्यक्रमों को सम्पन्न कराते हुए उसकी विशेष चयनित फोटोग्राफ एवं आख्या इस कार्यालय के ईमेल- infodheup21@gmail.com, dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
- 2- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ ।
- 3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 4- प्राचार्य/ प्राचार्या, समस्त राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त/ स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।


डॉ०(बी०एस० शर्मा)
शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)
उ०प्र०, प्रयागराज ।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम — प्रचार अभियान

[10 अप्रैल, 2026 — 20 अप्रैल, 2026]

देश के महात्मी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित होने वाला विशेष संसद सत्र नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संदर्भ में अत्यंत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है। यह सत्र महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय का प्रतीक होगा। इसी संदर्भ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नवीन जी के निर्देशानुसार 10 से 20 अप्रैल तक पूरे देश में समन्वित अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी:

क्र.	गतिविधि [दिनांक]	विवरण	कार्यकर्ता	विभाग
1	प्रेम कॉन्ग्रेस [11 और 13 अप्रैल]	<ul style="list-style-type: none"> पूरे देश के 100 प्रमुख मीडिया केंद्रों पर प्रेम कॉन्ग्रेस आयोजित की जाएगी बड़े शहरों में 2 कॉन्ग्रेस करने की योजना बनाई जाएगी 11 और 12 अप्रैल को संगठन द्वारा एवं 12 और 13 अप्रैल को अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा 	प्रदेश भाजपा संगठन	यूनवा विभाग
2	टाउन हॉल कार्यक्रम [12 से 15 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	<ul style="list-style-type: none"> पूरे देश में अभियान 15 प्रमुख स्थानों पर आयोजित किया जाएगा कार्यक्रमों में गैर-राजनीतिक एवं राजनीतिक महिला नेतृत्व को आमंत्रित किया जाएगा दिल्ली में समापन माननीय प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेशों में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाएगा मंच पर केवल महिला वैचारिक नेतृत्व को स्थान दिया जाएगा ✓ जिन प्रदेशों में भाजपा सरकार नहीं है, वहाँ नेता प्रतिपक्ष तथा केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी टाउनहॉल कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग, प्रदेश महिला आयोग या किसी अन्य सामाजिक संगठन के तत्वावधान में किए जा सकते हैं सभी स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी 	राष्ट्रीय महिला आयोग प्रदेश महिला आयोग	महिला एवं बाल विकास विभाग महिला आयोग
3	नारी शक्ति सम्मेलन [11 से 16 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	<ul style="list-style-type: none"> टाउनहॉल के 15 स्थानों से अलग 100 चयनित महत्वपूर्ण स्थानों पर बड़े महिला शक्ति सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे इन सम्मेलनों में केवल महिला वक्ताओं की भागीदारी रहेगी सम्मेलनों में सामाजिक संगठनों, प्रदेश महिला आयोग तथा प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी सभी स्थानीय महिला जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगी 	प्रदेश महिला आयोग अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	महिला आयोग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग महिला एवं बाल विकास विभाग

क्र.	गतिविधि (दिनांक)	विवरण	संयोजक	विभाग
4	नारी शक्ति पदयात्रा [15 और 16 अप्रैल]	<ul style="list-style-type: none"> • प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में नारी शक्ति पदयात्रा का आयोजन किया जाएगा • देश भर में लगभग 2000 लोगों की सहभागिता के साथ कुल 500 पदयात्राएं आयोजित की जाएंगी • प्रत्येक पदयात्रा का प्रभारी किसी महिला भाजपा सांसद/विधायक या पदाधिकारी को बनाया जाएगा • पदयात्रा में बैनर एवं कार्ड का प्रयोग भी किया जाएगा • पदयात्रा का नेतृत्व प्रतिष्ठित/सामाजिक सेविका महिला से करवाया जाएगा • NDA सरकार वाले प्रदेशों में लखपति दीदी लाभार्थियों, महाविद्यालय के लाभार्थियों, NCC/NSS के वॉलंटियर्स को भी पदयात्रा में जोड़ा जाएगा 	भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों में भाजपा संगठन	जनपदों के मा0 प्रभारी मंत्री, स्थानीय प्रशासन, ग्राम्य विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग
5	बाइक एवं टी-शर्ट रैलियां [13 से 16 अप्रैल] (14 अप्रैल — डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)	<ul style="list-style-type: none"> • 50 प्रमुख स्थानों पर 200 लोगों के साथ बाइक एवं टी-शर्ट रैलियां आयोजित की जाएंगी • ध्यान दिया जाए कि बाइक एवं टी-शर्ट रैली में केवल महिला प्रतिभागी रहेंगी • रैली में प्रमुख सामाजिक तथा महिला सेविकाओं की भागीदारी रहे 	युवा एवं महिला मोर्चा अन्य सामाजिक संस्थाएं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से	युवा कल्याण विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग स्थानीय प्रशासन
6	मिस्ट्र कॉल नंबर एवं स्टिकर [10 अप्रैल]	<ul style="list-style-type: none"> • जनसमर्थन जुटाने हेतु मिस्ट्र कॉल नंबर और स्टिकर जारी किया जाएगा • इस नंबर और स्टिकर को सभी कार्यक्रम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पदयात्रा, सम्मेलन, टाउनहॉल में प्रमोट करना है • जनसंपर्क के दौरान घर, बाइक आदि पर सीधे-सीधे स्टिकर लगाना है 	केंद्र सरकार/संगठन	
7	Op-Ed/लेख का प्रकाशन [10 अप्रैल]	<ul style="list-style-type: none"> • 100 महिला विचारकों द्वारा अखबारों में लेख और Op-Ed लिखे जाएंगे • प्रदेश में अधिक से अधिक महिला विचारकों, जनप्रतिनिधियों को Op-Ed/लेख/लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा • प्रदेश के सभी प्रमुख अखबारों में प्रतिनिधित्व संबंधित लेख आए, ऐसी योजना बनानी है 	केंद्र सरकार एवं भाजपा संगठन	सूचना विभाग
8	कलात्मक नवाचार [अभियान के दौरान]	<ul style="list-style-type: none"> • सैंड आर्ट, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, लोकगीत, और अन्य स्थानीय कलाविधाओं के प्रयोग से विमर्श निर्माण करना है 	भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों में भाजपा संगठन	संस्कृति विभाग
9	नारी शक्ति दीवार और मानव शृंखला	<ul style="list-style-type: none"> • सभी प्रमुख स्थानों पर "नारी शक्ति दीवार" स्थापित की जाएगी, जहाँ महिलाओं से 	युवा मोर्चा	युवा कल्याण विभाग उच्च शिक्षा विभाग

क्र.	गतिविधि (गिनांक)	विवरण	कारिण	विभाग
	[11 अप्रैल]	अपने विचार लिखने एवं नारी शक्ति बंदन अधिनियम के समर्थन में हुस्ताक्षर करने का आग्रह किया जाएगा		
10	अन्य प्रमोशन [अभियान के दौरान]	<ul style="list-style-type: none"> कम से कम 50 महिला कॉलेज, हॉस्टल, महाविद्यालयों आदि पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। इस गतिविधि में बैनर और कार्ड का प्रयोग भी किया जाएगा। सभी जनसंपर्क कार्यक्रम जैसे टाउनहॉल, सम्मेलन, पदयात्रा, आदि में झंडियों और कार्ड का प्रयोग किया जाएगा इसके अतिरिक्त होर्डिंग, बैनर के माध्यम से भी अधिनियम का प्रचार किया जाएगा 	प्रदेश सरकार एवं संगठन	सूचना विभाग
11	सोशल मीडिया अभियान [10 अप्रैल]	<ul style="list-style-type: none"> सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के समन्वय से <u>व्यापक सोशल मीडिया अभियान</u> चलाया जाएगा प्रदेश संगठन भी थीम गीत, वॉक्स-पॉप वीडियो और पॉडकास्ट आदि के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान चलाने की योजना बनाए प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कम से कम 500 वीडियो इस अधिनियम की सराहना करते हुए बनाए जाएंगे और उन व्यक्तियों और भाजपा के सोशल मीडिया प्लेटफार्म से पोस्ट किए जाएंगे 	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भाजपा संगठन	सूचना विभाग
12	स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्ताव [19 से 20 अप्रैल]	<ul style="list-style-type: none"> स्थानीय निकायों, नगर निगम, नगर पालिका, जिला परिषद आदि द्वारा इस ऐतिहासिक विधेयक की सराहना करते हुए प्रस्ताव पारित किया जाएगा इस प्रस्ताव की प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेजी जाएगी 	भाजपा शासित प्रदेशों में प्रदेश शहरी विकास/पंचायती राज/स्थानीय निकाय मंत्री अन्य प्रदेशों में प्रदेश द्वारा नियुक्त वरिष्ठ भाजपा नेता	नगर विकास विभाग

नोट 1: सभी जनसंपर्क कार्यक्रमों में जनहुस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिससे अधिक से अधिक जन-समर्थन अर्जित हो सके — टाउन-हॉल में, नारी शक्ति सम्मेलन में, नारी शक्ति पदयात्रा में, बाइक टी-शर्ट रैली में।

नोट 2: इसी तरह मिस्ड कॉल नंबर का भी हर जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यापक प्रचार करके अधिक से अधिक मिस्ड कॉल के माध्यम से जनसमर्थन प्राप्त करना है — प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टाउन-हॉल में, नारी शक्ति सम्मेलन में, नारी शक्ति पदयात्रा में, बाइक/टी-शर्ट रैली में और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से।

महत्वपूर्ण: सभी प्रदेश अभियान के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश स्तर की 5 लोगों की टोली अति-शीघ्र बनाकर केंद्रीय कार्यालय भेजें। जिन प्रदेशों में भाजपा सरकार है वहाँ, संगठन - सरकार में समन्वय हेतु 2 मंत्रियों को भी टोली का हिस्सा बनाएं।